न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–09/2007

CIS NO. TS-92/2019

श्रीमति बचनी देवी एवं अन्य...वादीगण

बनाम

श्रीलाल प्रसाद उर्फ रामएकबाल प्रसाद एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 17.01.2026 को प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–02 का साक्ष्य हो गया है तथा इस वाद के मुख्य प्रतिवादी श्रीलाल प्रसाद उर्फ राम एकबाल प्रसाद प्रतिवादी सं0–01 जिनका साक्ष्य इस वाद में नहीं हुआ है न ही इनका कागजात इस वाद में दाखिल है। प्रतिवादी सं0–02 राम उग्रह प्रसाद वर्तमान में वादी के मेल में है तथा वादी प्रतिवादी के बीच सुलहनामा भी हुआ था, जिसे वादी मानने को तैयार नहीं है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 श्रीलाल प्रसाद उर्फ राम एकबाल प्रसाद का साक्ष्य कराना एवं कागजात दाखिल कर प्रदर्श अंकित कराना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि दिनांक 10.10.2017 के आदेश को वापस लेकर प्रतिवादी को साक्ष्य देने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है एवं आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद से संबंधित सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को अभिलेख पर रखा जाना चाहिए, जिससे वाद का	

<u>न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–09/2007</u>

<u>CIS NO. TS-92/2019</u>

श्रीमति बचनी देवी एवं अन्य..वादीगण

बनाम

श्रीलाल प्रसाद उर्फ रामएकबाल प्रसाद एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 07.03.2026	निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में आदेश दिनांक 10.10.2017 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 17.01.2026 को मो0 2000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि आगामी तीन तिथियों के अंदर वाद से संबंधित सभी आवश्यक साक्ष्य को प्रस्तुत करें। आगामी दिनांक 25.03.2026 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	